नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.01.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 व स्थगन प्रस्तुत हुयी। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 पर वकील अपीलाण्ट का कथन है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज विवादित आराजी से संबंधित जमाबन्दी हैं एवं प्रकरण से संबंधित है। उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से निर्णय में सहायक होंगी। स्थगन पर उनका कथन है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। रैस्पो0 का अपीलाण्ट के उक्त हिस्से से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आड में रैस्पो0 अपीलाण्ट के हिस्से पर जबरन कब्जा करने को उतारू हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2014(1) पेज 35, 2010(2) पेज 744, आरआरटी 2022(1) पेज 397, 248, 2022(2) पेज 930, 2022–23 पेज 637, 2024(1) पेज 500, 2014(1) पेज 409, एआईआर 2000 पेज 3032, आरआरडी 1985 पेज 351 का उद्धरण प्रस्तुत किया। हमने मनन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के संलग्न दस्तावेज, जमाबन्दी हैं एवं हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी से संबंधित है व प्रमाणित है। जिनकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं। स्थगन पर हम पाते हैं कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के अंतरिम आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2024 एक अंतरिम आदेश है, जो दिनांक 26.03.2024 तक ही प्रभावी है। अतः उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नही आता है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 20.02.2024 में स्पष्ट अंकित किया है कि यदि प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 (ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना नहीं करता है तो जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझा जावेगा। अतः अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करते, उक्त अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा संभव टालने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2024 उनवानी बिलाल वगै0 बनाम भोपालाराम में मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 73 के बिन्दु संख्या 01 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक 6439 दिनांक 06.08.2024 के पैरा संख्या 04 में उल्लेख किया है कि अपीलीय न्यायालयो द्वारा आगामी पेशी तक दिये गये विधिसम्मत अंतरिम आदेशो में अनावश्यक और अ–न्यायोचित रूप से हस्तक्षेप किया जाकर परीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेशो को अपास्त कर दिया जाता है। इसके कारण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वादग्रस्त भूमि के खुर्द–बुर्द होने व मूल वाद के	

गुणावगुण अंतिम निर्णय भी प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर